न्यायालय भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, सीकर ।

अपील संख्या-9/2017

दयानन्द पुत्र नारायणाराम जाति जाट निवासी सुलतानपुरा तहसील नवलगढ जिला झुन्झुनू ।

--अपीलान्ट---

--बनाम--

1- रामप्यारी देवी पत्नी पालाराम
2- दयाराम पुत्र पालाराम
3- पवनकुमार पुत्र पालाराम
4- केशरदेव पुत्र पालाराम
} जाति जाट निवासी सुलतानपुरा तहसील नवलगढ जिला झुन्झुनू ।

5- सुमित्रा पुत्री पालाराम पत्नी बुद्धिप्रकाश जाति जाट निवासी गिलों की ढाणी भौडकी तहसील उदयपुरवाटी जिला झुन्झुनू ।

6- सिलोचना पुत्री पालाराम पत्नी सुरेशकुमार जाति जाट निवासी ढाका का बास तन धमोरा तहसील उदयपुरवाटी जिला झुन्झुनू ।

7- डालीदेवी पत्नी नारायणाराम
8- राजेन्द्र पुत्र नारायणाराम
9- बनारसीदेवी पत्नी रामेश्वर
10- खमाणचन्द पुत्र रामेश्वर
} जाति जाट निवासी सुलतानपुरा तहसील नवलगढ जिला झुन्झुनू (राज0)

--रेस्पोडेन्टस--

अपील विरूद्ध निर्णय दिनांक 27-01-2017 द्वारा उप खण्ड अधिकारी नवलगढ ।

---0---

उपस्थिति-

1-श्री विजय ओला एडवोकेट- अपीलान्ट
2-श्री सुभाष पूनिया एडवोकेट- रेस्पोडेन्ट

निर्णय दिनांक- 31.1.2018

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि प्रार्थीगण/रेस्पोडेन्ट संख्या-1 से 6 ने अदालत मातहत में प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा-251(क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत पेश कर निवेदन किया कि ग्राम सुल्तानपुरा में आराजी ख0नं0-144 रकबा 1.96 पैत्रिक कब्जा काश्त एवं खातेदारी की भूमि है । जिसकी खातेदारी प्रार्थीया संख्या-1 श्योकोरी के नाम से दर्ज है । इस आराजी में एक चाह बना रखा है जिसमें विधुत सम्बन्ध मनसुख, नारायण, रामेश्वर के नाम से है जिसमे 1/2 हिस्सा प्रार्थीनी का है ।जिसमें मकान बना रखे हैं पशुओं व फसल भण्डारण के लिए मकान बना रखे हैं । आराजी ख0नं0 114 रकबा 0.53 हैक्टर, ख0नं0124 रकबा 1.75 हैक्टर, ख0नं0 137 रकबा 1.08 हैक्टर व ख0नं0 264 रकबा 1.03 हैक्टर कुल किता-4 रकबा 3.3900 हैक्टर अप्रार्थी सं0-1 से 3 का है । ख0नं0 137 के दक्षिण से सटकर प्रार्थीनी का खेत ख0नं0 141 है । ख0नं0 303/137 व 305/124 कुल किता-2 रकबा 3.39 हैक्टर अप्रार्थी सं0-4 व 5 की खातेदारी की है । ख0नं0 137 के रकबे के पश्चिमी भाग में अपनी रिहायशी गुवाडी बनाकर आबाद है ।इस गुवाडके पूर्व से नक्शे में दिखाए "ए" से "बी" मार्क का लाल रंग का रास्ता 12 फुट चौडा जो करीब 90 मीटर लम्बा है जो प्रार्थीगण अपने खेत में आने जाने के लिये लेना चाहते हैं । अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार कर उक्त "ए" से "बी" रास्ता राजस्व रेकार्ड में दर्ज किया जावे । अदालत मातहत ने प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र दिनांक 4-5-2015 को स्वीकार कर लिया जिसके विरूद्ध रेस्पोडेन्ट संख्या-7 से 8 एवं अपीलान्ट ने अदालत हाजा में अपील संख्या-74/2015 उनवानी डालीदेवी बनाम रामप्यारी पेश की जिसको बाद सुनवाई स्वीकार कर अदालत मातहत का निर्णय दिनांक 4-5-2015 खारिज कर प्रकरण अदालत मातहत को इस निर्देश के साथ रिमाण्ड किया गया कि वह मौके की रिपोर्ट तहसीलदार/नायब तहसीलदार/ भू-अभिलेख निरीक्षक से मंगवाकर पक्षकारों को सुनवाई का अवसर देते हुये अपना निर्णय पुनः पारित करें । तथा पक्षकारों को अदालत मातहत में दिनांक 5-7-16 को उपस्थित होने के आदेश दिये। जिस पर अपीलान्ट एवं अनावेदक सं0

-1,2 व 4,5 जरिये वकील उपस्थित आये । जिस पर अदालत मातहत ने तहसीलदार को मौके की रिपोर्ट भिजवाने के निर्देश दिये तथा पक्षकारों को सुनते हुये प्रार्थना पत्र स्वीकार कर मुताबिक मौका रिपोर्ट रास्ता दिये जाने के आदेश पारित किये इस आदेश से क्षुब्ध होकर अपीलान्ट ने यह अपील निम्न आधारो पर प्रस्तुत की है

योग्य अदालत मातहत का निर्णय खिलाफ कानून एवं पत्रावली है । अपीलान्ट द्वारा उक्त प्रकरण में दिनांक 11-01-2017 को तहसीलदार द्वारा प्रस्तुत मौका रिपोर्ट अपीलान्ट द्वारा एतराज प्रस्तुत किया गया था जो दिनांक 27-1-2017 को अधिनिस्थ न्यायालय द्वारा स्वीकार भी किया गया । परन्तु उसके बाद अदालत मातहत ने बिना कानूनी प्रक्रिया अपनाये तहसीलदार की रिपोर्ट के आधार पर दिनांक 27-01-2017 को आदेश पारित कर दिया । अदालत मातहत ने अदालत हाजा के निर्देशों की पालना न कर आदेश पारित किया है। इससे स्पष्ट है कि अदालत मातहत ने अदालत हाजा के निर्देशों की अनदेखी कर अपना निर्णय पारित किया है । अदालत मातहत ने पक्षकारों की मौजूदगी में मौका रिपोर्ट न मंगवाकर उनकी पीठ पीछे रिपोर्ट मंगवाकर आदेश पारित किया है । अतः अपीलान्ट की अपील स्वीकार कर अदालत मातहत का निर्णय खारिज किया जावे ।

अपील दर्ज रजिस्टर की गई । रेस्पोडेन्ट को जरिये नोटिस तलब किया गया । अदालत मातहत की पत्रावली मंगाई जाकर शामिल पत्रावली की गई । बहस विद्वान अभिभाषकगण सुनी गई ।

विद्वान वकील अपीलान्ट ने बहस में अपील मीमों मे दर्ज तथ्यो को दौहराते हुये कथन किया कि अदालत मातहत ने मौके की रिपोर्ट अपीलान्ट की अनुपस्थिति में मंगवाई है जो रेस्पोडेन्ट के प्रभाव में बनाई गई रिपोर्ट है ।अपीलांट ने अदालत मातहत में मौके की रिपोर्ट पर आपत्ति पेश की । जिस पर अदालत मातहत ने किसी प्रकार का कोई आदेश पारित न कर अपनी मर्जी के अनुसार ही आदेश पारित कर दिया । जबकि कानूनन अदालत मातहत को माननीय अदालत हाजा के निर्देशानुसार आपत्ति प्रार्थना पत्र का निर्णय करते हुये निर्णय पारित

करना चाहिये था । मेरा प्रार्थना पत्र आपत्ति मौका रिपोर्ट पेण्डिंग है और इस प्रकार के प्रार्थना पत्र के विचाराधीन रहते इस प्रार्थना पत्र का अन्तिम रूप से निर्णय विधि के विपरित है ।अतः अपीलान्ट की अपील स्वीकार कर अदालत मातहत का निर्णय निरस्त कर प्रकरण अदालत मातहत को रिमाण्ड किया जावे कि वह मेरे प्रार्थना पत्र मौका आपत्ति का निस्तारण करने के बाद ही प्रार्थना पत्र का अन्तिम रूप से निर्णय पारित करें ।

विद्वान वकील रेस्पोडेन्ट ने बहस में कथन किया कि अदालत मातहत ने अपीलान्ट को सुनवाई का समुचित अवसर देते हुये आदेश पारित किया है ।दिनांक 5-7-2016 को अपीलान्ट जरिये वकील हाजिर रहा है । उसी दिन तहसीलदार को मौके की रिपोर्ट भिजवाने के आदेश दिये गये हैं । मौका रिपोर्ट अपीलान्ट की मौजूदगी में मंगाई गई है । राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा-251(क) का निर्णय केवल 90 दिन में किये जाने के निर्देश है किन्तु अपीलान्ट हमे परेशान करने पर आमादा है । पूर्व में मेरा प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जिसमें मौके पर यही से रास्ता कायम किया गया किन्तु वह रिपोर्ट पटवारी हल्का की होने से माननीय न्यायालय ने तहसीलदार/नायब तहसीलदार/भू-अभिलेख निरीक्षक से मौके की रिपोर्ट मंगाने के आदेश दिये हैं । जिस पर अदालत मातहत ने अपीलान्ट के सामने सुनवाई करते हुये तहसीलदार को मौके की रिपोर्ट भिजवाने के निर्देश दिये हैं ।अपीलान्ट ने श्रीमानजी के न्यायालय से न्याय की उम्मीद नहीं होने का प्रार्थना पत्र भी पेश किया जिसे माननीय राजस्व मण्डल अजमेर ने खारिज किया है ।इस प्रकार यह स्पष्ट है कि अपीलान्ट प्रकरण में ऐनकेन प्रकार से विलम्ब करना चाहता है तथा हमे हमारे खेत में आने जाने व काश्त नहीं करने के लिये मजबूर कर रहा है ।मौके की दो बार रिपोर्ट आ चुकी है। अदालत मातहत ने अपना निर्णय उचित एवं विधिक दिया है । अपीलान्ट की अपील को खारिज किया जावे ।

बहस बगौर समाहत की गई । पत्रावली का अवलोकन किया गया । सर्व प्रथम अदालत हाजा का निर्णय दिनांक 9-6-2016 में अपीलान्ट ने पूर्व में दिनांक 4-5-2015 के विरूद्ध अपील पेश की उसमें अपीलान्ट को सुन कर प्रकरण पुनः योग्य

अदालत मातहत को इस निर्देश के साथ रिमाण्ड किया कि वह तहसीलदार/नायब तहसीलदार/भू-अभिलेख निरीक्षक से मौके की रिपोर्ट मंगवाकर पक्षकारों को सुनकर अपना निर्णय पुनः पारित करें । अदालत मातहत ने अपने पत्रांक 509 दिनांक 22-7-2016 के द्वारातहसीलदार नवलगढ को उक्त प्रकरण में रास्ते की भूमि की तथ्यात्मक रिपोर्ट दिनांक 23-8-16 से पूर्व भिजवाने के लिखा । जिस पर तहसील--दार नवलगढ ने मौके की रिपोर्ट दिनांक 19-8-2016 को तैयार कर पत्र क्रमांक 1058 दिनांक 22-8-2016 को भिजवाई गई । जो दिनांक 23-8-2016 की आर्डर शीट मे दर्ज कर दी गई । अपीलान्ट ने इस रिपोर्ट के बाबत लगभग 6 माह गुजर जाने तक बहस का समय चाहते रहे तथा बाद में प्रार्थना पत्र आपत्ति मौका रिपोर्ट का पेश किया जो स्पष्ट रूप से यह इंगित करता है कि अपीलान्ट प्रकरण मे किसी न किसी प्रकार से विलम्ब करना चाहता है ।तहसीलदार की दिनांक दिनांक 19-8-2016 एवं पटवारी हल्का की रिपोर्ट दिनांक 29-12-2014 में प्रस्तावित रास्ता ख0नं0 114 व 137 में दिया जाना प्रस्तावित किया है । अपीलान्ट ने जो प्रार्थना पत्र अदालत मातहत मे पेश किया है वह प्रकरण में केवल विलम्ब के लिए ही दिया है ।इस प्रार्थना पत्र से अपीलान्ट के कोई अधिकार प्रभावित नहीं होते है । साथ ही अपीलान्ट ने अदालत हाजा के खिलाफ भी न्याय की उम्मीद नहीं का प्रार्थना पत्र माननीय राजस्व मण्डल अजमेर में पेश किया जो भी प्रकरण में विलम्ब करने को ही इंगित करता है ।अदालत मातहत के निर्णय मे किसी प्रकार की कोई विधिक भूल नहीं है ।अदालत मातहत ने ख0नं0 141 में आने जाने का जोत हेतु रास्ता ख0नं0 114 व 137 में से तहसीलदार की मौके की रिपोर्ट का अवलोकन कर पारित किया है जिसमें हम किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं मानते हैं ।

अतः उपरोक्त विवेचन के परिप्रेक्ष्य मे अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है तथा विद्वान उप खण्ड अधिकारी नवलगढ का निर्णय दिनांक 27-01-2017 यथा--वत रखा जाता है ।

निर्णय सरे इजलास आज दिनांक 31.1.2018 को सुनाया गया ।

31/1/18

{भंवरलाल मेहरड़ा}
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
सीकर